बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के संदर्भ में– रिपोर्ट

दुनियाभर के समुदायों को बाल यौन उत्पीड़न की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है यह एक वैश्विक महामारी बन चुकी है जिससे दस में से एक बच्चा प्रभावित होता है।

बच्चे न घर में सुरक्षित हैं और न ही खुले आसमान के नीचे.

भारत में वर्ष 2001 से 2017 के बीच बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में 889 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इन सत्रह सालों में बच्चों के प्रति अपराध 10,814 से बढ़कर 129032 हो गए।

बच्चे यौन हिंसा नहीं बल्कि यौनिक युद्ध का सामना कर रहे हैं. इस सदी के पहले सोलह सालों में बच्चों के साथ बलात्कार और गंभीर यौन अपराधों की संख्या 2,113 से बढ़कर 36,022 हो गई। यह वृद्धि 1705 प्रतिशत रही। वर्ष 2017 में देश 32608 मामलें दर्ज किये गये। राजस्थान में 2018 में 1922 व मई 2019 तक 1136 मामले दर्ज किये जा चूके है।

राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान व इससे जुडी संस्थाओं द्वारा समय समय पर विद्यालयों मे व अन्य स्थानों पर बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा के मामले में अध्ययन करता रहा है। अभियान से जुडी संस्थाओं का मानना है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से साझी समझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान व वर्ल्ड–वीजन के सहयोग से 20 दिसम्बर को एक कार्यशाला आयोजित की गई।

इस कार्यशाला में राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल व सदस्य डा. विरेन्द्र सिंह सहित 80 से अधिक संभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता श्रीमती संगीता बेनीवाल की।

श्री राधाकान्त सक्सेना ने कार्यशाला के उद्देश्य व बालिकाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा के सम्बन्ध में कार्यशाला में चर्चा के बिन्दुओं को सबके साथ शेयर किया। कार्यशाला के उद्देश्यों व आवश्यकता के बारे में अजमेर से श्रीमती इन्द्रा पंचौली ने विशेष रूप से विद्यालयों

में बालिकाओं के साथ विद्यालय के अध्यापकों/पुरूष स्टॉफ द्वारा छेड–छाड, यौन हिंसा की घटनाएं व समाज व विभाग की भुमिका पर चर्चा की गई।

कार्यशाला की शुरूआत में राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो व गृह विभाग के द्वारा जारी आकंडो का विश्लेक्षण प्रस्तुत किया। जिसमें

- दर्ज मामलों की स्थिति को लेकर समय–समय पर राज्य क्राइम रिकार्ड ब्यूरो तथा गृह विभाग के द्वारा जारी किये गये आकडों को किये गये विश्लेक्षण को प्रस्तुत किया गया जिसमें 2001 से 2019 के दौरान बालको के साथ हुई हिंसा के आंकडो प्रस्तुत किया गया साथ यौन हिंसा के मामलो को शामिल किया गया जिसमें बताया गया कि एन.सी.आर.बी. के अनुसार 2001 में देश में बच्चों के साथ यौन हिंसा के 2113 मामले दर्ज हुए जो बढकर 2017 में 42667 हो गये है। वहीं राजस्थान में यह आंकडा 2001 में 35 था जो 2017 में बढकर 1692 हो गया। राजस्थान पुलिस के अनुसार राजस्थान में 2018 में 1922 व मई 2019 तक 1136 मामले दर्ज किये जा चूके है।
- हाल ही हुए कुछ मामलों स्थिति पर चर्चा करने के दौरान अलग बलग स्थानों से आये संदर्भ व्यक्तियों ने मामलों को आयोग की अध्यक्ष महोदया के सामने रखा सर्वप्रथम सोजत सिटी जिला पाली में कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के साथ मार्च 2016 में परीक्षा के दौरान अध्यापक द्वारा बालिकाओं के साथ अश्लिल हरकत करना के मामले पर चर्चा की गई। जिसमें आरोपी शिक्षक द्वारा समाज, राजनितिक हस्तक्षेप व रूपयों के प्रभाव में पुरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तथा कुछ बालिकाओं को तो सरेडर भी करवा दिया गया है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी प्रकार सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में 8 कक्षा की एक बालिका के साथ अध्यापक द्वारा अश्लिल हरकत करना तथा पुलिस द्वारा एफ.आइ.आर. दर्ज ना करना, एस.पी. के आदेश पर एफ.आइ.आर दर्ज करना व आरोपी को गिरिफ्तार नही करना पर चर्चा की गई। उपस्थित आयोग सदस्य ने इस पर तुरन्त कार्यवाही करने का भरोसा दिलवाया गया कार्यशाला के अन्तिम सत्र में आयोग सदस्य श्री विजेन्द्र सिंह ने अवगत करवाया की पुलिस ने आरोपी अध्यापक को गिरिफ्तार कर लिया। अजमेर से आये साथियों ने भी अजमेर में बालिकाओं के साथ हुइ यौन हिंसा के प्रकरण व वर्तमान स्थिति

के बारे में बताया इस पर आयोग की अध्यक्ष ने सभी प्रकरणों में वर्तमान स्थिति के बारे में लिखित में दस्तावेज मागें गये तथा आश्वस्त किया कि वह इन प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित जिले के अधिकारियों लिखेंगे तथा फोलोअप भी लेगें। स्नेह आंगन द्वारा जयपुर में यौन हिंसा से पिडित बालिकाओं की स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह कुछ समय प्श्चात पिडिता अपने आप को अकेली महसूस करने लगती है तथा उसके परिवार व अडोसी–पडोसी रिश्तेदार बालिका के साथ व्यवहार करते है। तथा किस तरह वह इन बालिकाओं के साथ काम कर रहे है और उनको सहयोग दे रहे है।

- कोर्ट में चल रहे प्रकरणों पर विधिक चर्चा के दौरान जोधपुर से आये जेजेबी के पूर्व सदस्य एडवोकेट श्री राजेन्द्र सोनी ने विभिन्न केस में किस–किस तरह से काम किया जा सकता है उसके बारे मे अवगत कराया, तथा इस तरह की घटना की जानकारी मिलने के उपरान्त क्या–क्या कार्यवाही किस प्रकार करनी चाहीए तथा क्या–क्या सावधानी बरतनी चाहीए इसके बारे में बताया गया। साथ सोजत कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं के साथ हुई घटना पर उच्चतम न्यायालय में पत्र लिखकर प्रकरण के बारे अवगत कराने को कहा तथा इस प्रकरण में सहयोग करने को कहा।
- विभिन्न कार्यकारी ऐजेन्सियों की भुमिका पर चर्चा करने के लिए राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष व सदस्य ही उपस्थित हुए बाल अधिकारिता बिभाग रा.ल.सा से कोई प्रतिनिधि नही आने के कारण उनके बारे में चर्चा नहीं हो सकी। आयेाग की अध्यक्ष महोदया का कहना था वह पूर्ण रूप से इस मुद्दे पर गभिरता से काम करना चाहती है जो भी केस यहॉ चर्चा में आये है उन सभी पर वह सम्बन्धित जिले के अधिकारी को पत्र लिखेगी तथा कार्यवाही के बारे में जानकारी लेगी।

आगे की रणनिति पर चर्चा

कार्यशाला के अन्त में इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की गई। चर्चा दो बिन्दुओं पर केन्द्रित रही।

1. इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए
2. दुसरा घटना से पिडित बच्चे के पुर्नवास से सम्बन्धित

इस सत्र की अध्यक्षता बाल आयोग के सदस्य श्री विजेन्द्र सिंह ने की उनका कहना था कि विगत 5–6 सालों में इस तरह की घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है इसकी रोक–थाम के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है तथा मिल कर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालय सबसे पहली कडी है वहॉ से बच्चों व शिक्षकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। बच्चों को इस के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है तथा यदि कोई भी व्यक्ति इस की अश्लिल हरकत करने की कोशिश करता है तो क्या किया जाना चाहीए ये हर बच्चे को बताया जाना आवश्यक है। श्रीमती इन्द्रा पंचौली का कहना था कि बच्चों के साथ हो रही यौन हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता स्कूल के साथ–साथ घर व मोहल्ले में भी जरूरी है। कच्ची बस्तीयों में इस प्रकार की घटनाऐ ज्यादा होती है अतः वहॉ पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है।

पिडित बच्चों के पुर्नवास के संदर्भ में सुश्री तरूणा नयान का कहना था कि इन बच्चों के साथ लम्बे समय तक काम करने की आवश्यकता है इनके साथ साथ्ज्ञ इनके माता–पिता के साथ भी काम करने की आवश्यकता है। पिडित बालिका को ही घटना के लिए लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बात–बात पर परिजन बालिका को हीन नजर से देखते हैं, समुदाय रिश्तेदारी से दूर रखने का प्रयास करते हैं। बालिका को अन्य स्थानों पर भेज देते है।

राधाकान्त सक्सेना सक्सेना का कहना था कि स्नेह आंगन की तर्ज पर एक सेन्टर हो जो इस प्रकार की पिडित बालिकाओं के साथ मिल कर काम करें केस मेन्जेमेन्ट करे तथा निरन्तर पिडित के साथ व परिजनों के साथ संवाद बनाने का काम करते रहे।

कार्यशाला के अन्त में सभी ने मिलकर इस मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता जताई।